

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर- तृतीय, जयपुर

पीठारसीन अधिकारी  
प्रकरण संख्या  
सनवान

: श्री अशोक कुमार शर्मा

: 44/2018

: जोधा उर्फ जोधाराम पुत्र श्री धन्ना जाति बलाई, निवासी  
ढहर की ढाणी तन मुण्डौती तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

बनाम

1. श्रीमती रूकमा देवी पत्नी कानाराम (नाम हजफ)
2. कमला देवी पुत्री कानाराम पत्नी नाथूलाल जाति बलाई  
निवासी राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पुराना फुलेरा के  
पास, फुलेरा जिला जयपुर।
3. मूला पुत्र श्री धन्ना (फौत)
- 3.1 संतरा देवी पुत्री मूला पत्नी रामप्रसाद जाति बलाई  
निवासी प्रेम नगर झोटवाडा जयपुर।
- 3.2 हीरालाल पुत्र मूला जाति बलाई, निवासी ढेहर की ढाणी  
तन मुण्डौती तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
- 3.3 राधेश्याम पुत्र मूला जाति बलाई निवासी ढेहर की ढाणी  
तन मुण्डौती तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
- 3.4 गंगा पुत्री मूला पत्नी पप्पूजी जाति बलाई निवासी  
ढोडवाडियों का वास ग्राम पंचायत मूंदवाडा तहसील  
फुलेरा जिला जयपुर।
- 3.5 प्रभाती पुत्री मूला पत्नी लक्ष्मण जाति बलाई निवासी  
ढोडवाडियों का वास ग्राम पंचायत मूंदवाडा तहसील  
फुलेरा जिला जयपुर।
- 3.6 इन्दरा पुत्री मूला पत्नी भगवान सहाय जाति बलाई  
निवासी शिम्भपुरा तन ड्योडी हाल बागवान सिटी  
पैलेस गोविन्द देवजी के मन्दिर के पास जयपुर।
- 3.7 ओमप्रकाश पुत्र मूला जाति बलाई निवासी ढेहर की  
ढाणी तन मुण्डौती तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
4. मोहन लाल पुत्र श्री धन्ना
5. लाला पुत्र श्री धन्ना (फौत)
- 5.1 सुरेश पुत्र लाला
- 5.2 बजरंग पुत्र लाला समस्त जाति बलाई निवासी ढेहर की  
ढाणी तन मुण्डौती तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
6. सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डौती पंचायत समिति सांभर  
जिला जयपुर।
7. नायब तहसीलदार उप तहसील किशनगढ रेनवाल  
तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

निर्णय दिनांक

: 12.07.2023

अधिवक्तागणों का  
नाम

: अ) श्री विजय कुमार शर्मा अपीलकर्ता की ओर से।

ब) श्री राजेश कुमार सैनी गैर रेषपोडेन्ट संख्या 2 की ओर  
से।

स) श्री बी.एल. वर्मा गैर रेषपोडेन्ट संख्या 3, 3/2, 3/3  
की ओर से।



32  
अतिरिक्त कलक्टर  
(तृतीय) जयपुर

## निर्णय

### अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्त व रेस्पोंडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं स्वयं अर्जित भूमि आराजी खसरा नम्बर 73 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 80 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 62 बीघा 18 बिस्वा भूमि जमाबन्दी संवत् 2017-20 वाके ग्राम मूण्डोती तहसील फुलेरा जिला जयपुर में सुखा वल्द डूगा, नन्दा वल्द सालगा, काना वल्द धन्ना की स्वयं अर्जित भूमि थी। अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 3, 4 एवं 5 काना वल्द धन्ना के सगे भाई होने के नाते पांचों भाईयों के नामअंकित हो गई। ग्राम सुखालपुरा के खसरा नंबर 68 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा भूमि का 2/3 हिस्सा जरिये डिक्री मूला राम, लालू राम, मोहनलाल, काना, जोधा, पिश्रान धन्ना कौम बलाई साकिन मूण्डोती के नाम अंकित हो गई। कानाराम पुत्र धन्नाराम बलाई का देहान्त दिनांक 31.05.1999 को हो गया एवं उसके पूर्व ही कानाराम पुत्र धन्नाराम ने अपनी स्वयं अर्जित भूमि का वसीयतनामा खसरा नम्बर 68 ग्राम सुखालपुरा एवं खसरा नंबर 73, 74, 75, 77, 78, 79 व 80 ग्राम मूण्डोती तहसील फुलेरा का दिनांक 20.10.1993 को मजमेआम में स्थानीय सरपंच एवं बस्ती के सभी जाति के लोगों के सामने तहरीर कर दिया एवं नोटेरी पब्लिक जयपुर से भी उसी दिन 20 अक्टूबर 1993 को तस्दीक करवा दिया, जिसके अन्तर्गत कानाराम वल्द धन्नाराम के हिस्से उसी दिन 20 अक्टूबर 1993 को तस्दीक करवा के नाम, जो कि रेस्पोंडेन्ट सं० 1 है एवं 1/2 हिस्से की वसीयत अपीलान्त के नाम कर दी। रेस्पोंडेन्ट सं० 1 एक वर्ष से सुखालपुरा गाँव से फुलेरा चली गई। दिनांक 20.01.2009 को अपीलान्त ने स्थानीय ग्राम पंचायत मूण्डोती में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कानाराम पुत्र धन्नाराम ने अपनी कृषि भूमि की 1/2 की हिस्से की वसीयत अपीलान्त के नाम कर रखी है। अतः कोई नामान्तरकरण इत्यादि का अंकन किया जाये तो कृषि भूमि जो कानाराम वल्द धन्नाराम की है, वो वसीयत के अनसुार ही दर्ज की जावे तो सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डोती ने अपीलान्त को आश्वासन देकर वसीयत व प्रार्थना पत्र अपने पास रख लिया एवं नामान्तरकरण पर नोट लगाकर तस्दीक करने का भी आश्वासन दे दिया। दिनांक 14.10.2009 को ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मूण्डोती में हुई तो अपीलान्त ने पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2009 की प्रगति पूछी तब सरपंच ने बताया कि दिनांक 20.01.2009 को एप्लीकेशन बाबत तत्कालीन पटवारी को बता दिया था एवं नामान्तरकरण प्रस्तुत करने की हिदायत दे दी थी लेकिन पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण नायब तहसीलदार उपतहसील किशनगढ रेनवाल, तह० फुलेरा ने दिनांक 09.03.2009 को तस्दीक कर दिया। अतः नामान्तरकरण संख्या 256 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 14.10.2009 को हुई।

अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण सं० 256 को 10 वर्ष बाद तस्दीक किया है एवं बिना किसी जांच एवं नोटिस के तस्दीक किया है। नामान्तरकरण जानबूझ कर सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं किया एवं वसीयत के मामले राजस्व अधिकारियों को नामान्तरकरण के जरिये निस्तारित नहीं करने चाहिए थे। प्रकरण intricate था एवं ऐसे मामले Right and title नामान्तरकरण के जरिये निर्णित नहीं होते एवं अपीलान्त के पक्ष में नोटेरी से सत्यापित वसीयत दिनांक 20.10.1993 की उपलब्ध थी, जिसकी जानकारी मजमेआम में ग्राम पंचायत मूण्डोती को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके तत्कालीन पटवारी एवं सरपंच को दिनांक 20.01.2009 को लिखित में दी थी। कृषि भूमि काना वल्द धन्ना की स्वयं अर्जित भूमि थी एवं जैसा कि वसीयत में लिखा हुआ है अपीलान्त ने ही उसकी सेवाबन्दगी की थी एवं उनकी पत्नी एवं उनको खर्चा देता रहा था अतः उन्होंने अपनी स्वयं अर्जित भूमि की वसीयत कर दी एवं उसमें किसी को नुकताचीनी करने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 का सवाल है उसको पिता की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं है क्योंकि भूमि दादालाई नहीं है। ये भूमि काना वल्द धन्ना के हिस्से की थी एवं दिनांक 20.10.1993 को ही उक्त हिस्से की भूमि 1/2 अपीलान्त की हो गई एवं 1/2 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के हो गई जो कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की माता है। इस तरह 20.10.1993 के बाद काना वल्द धन्ना की पत्नी को उनके हिस्से की कृषि भूमियों ग्राम सुखालपुरा तहसील फुलेरा में 1/2 हिस्सा रह गया। यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अपने पति द्वारा की गई वसीयत के विरुद्ध आचरण करके रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के यहाँ रहने लग गई एवं उपरोक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियों से साझाबाज करके वसीयत के विपरीत नामान्तरकरण संख्या 256 के अन्तर्गत दर्ज करवा ली जिसको दर्ज करने का न तो राजस्व कर्मचारियों को अधिकार था और ना ही प्रतिवादी संख्या 1 को ही ये सब कराने का अधिकार था।

अन्त में निवेदन किया गया है कि ग्राम पंचायत मूण्डोती, नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल, तहसील फुलेरा से नामान्तरकरण संख्या 256 का रिकार्ड तलय करके बिना नोटिस व बिना सुनवाई व बिना जाँच 10 वर्ष बाद प्रकृति न्याय के सिद्धान्तों एवं न्याय प्रकिया के विपरीत तस्दीक अपीलार्थीन नामान्तरकरण को अपास्त किया जावे एवं ग्राम मूण्डोती एवं सुखालपुरा की कृषि भूमियां जो काना वल्द धन्ना राम के नाम अंकित है, को समान रूप से अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट सं० 1 के नाम अंकित किया जावे।





कानाराम का फौती नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के हक में भरा जाकर ग्रा.पं. मूण्डोती द्वारा दि 09.03.2009 को स्वीकृत किया गया था, जिसे अपीलार्थी जोधा ने 7 माह से अधिक के विलम्ब से अपेश की। वसीयत दिनांक 20.10.1993 कानाराम पुत्र धन्नाराम द्वारा निष्पादित नहीं की गयी थी। उ वसीयत में प्रयुक्त स्टाम्प वसीयत के लिये नहीं अपितु बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिये क्रय कि गया था। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 में अंकित है कि जहां किसी वसीयत निष्पादन प्रत्याख्या किया गया है, वहां वह धारा 68 में विहित विधि के द्वारा ही साबित की जा सकती है। उक्त वसीयत क वैधता एक विचारण व प्रक्रिया का प्रश्न है, जिसका निस्तारण केवल नियमित वाद से ही किया जा सकता है। अपीलार्थी ने उपरोक्त वसीयत के संबंध में ना तो प्रोबेट प्राप्त किया है और ना ही दीवानी न्यायालय से उपरोक्त वसीयत की वैधता डिक्री के माध्यम से घोषित कराई है। अतः अपील अपीलान्त मय हर्ज-खर्च के खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण 256 दिनांक 09.03.2009 नियमानुसार विधिक प्रक्रिया उपरान्त खोला गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। विवादित भूमि के खातेदारान में से एक खातेदार काना पुत्र धन्ना का देहावसान दिनांक 31.05.1999 को हो गया था, जिसका फौती नामा सं० 256 ग्रा०पं० मूण्डोती द्वारा दिनांक 09.03.2009 को स्वीकृत कर के अनुसार उपरोक्त मृतक काना की खातेदारी हिस्सा 2/15 इनकी पत्नी व पुत्री प्रत्यर्थी सं.1 रुकमा देवी व प्रत्यर्थी सं. 2 कमला देवी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा दी। दौराने अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 रुकमा देवी का देहावसान हो गया था तथा उसका फौती नामान्तरकरण उसकी प्रत्यर्थी संख्या 2 कमला देवी के हक में स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया गया। ख.न. 68 के हिस्सा 2/15 की खातेदारी कमला देवी के नाम दर्ज है। अतः अपील अपीलान्त सारहीन एवं आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

हम अपीलान्त की अपील, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा रेस्पोंडेन्ट के जवाब अपील एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा उभयपक्ष की लिखित बहस का अवलोकन एवं मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 09.03.2009 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील का मूल आधार वसीयतकर्ता की स्व-अर्जित सम्पति बताते हुए किया गया है किन्तु दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह पाते हैं कि अपीलाधीन भूमि का नामान्तरकरण धन्ना के समस्त वारिसानों के नाम ना खुलने अपितु केवल 2 वारिसानों के नाम ही खुलने के कारण उक्त डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पैतृक होना पुष्ट होता है। इसलिए पैतृक सम्पति में वसीयत का कोई आधार स्पष्ट नहीं होता है। अतः स्वीकार योग्य नहीं है।

दूसरा बिन्दू यह है कि अपीलान्त द्वारा अपील का मुख्य आधार 1993 में की गई वसीयत को बनाया गया है। चूंकि वसीयत के संबंध में निर्णय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में वसीयत को प्रोबेट कराने की कार्यवाही अपीलान्त द्वारा पहले सिविल न्यायालय में किया जाना चाहिए था और वसीयत के आधार पर इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं है।

बिन्दू संख्या 3 यह है कि अपीलान्त द्वारा तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 09.03.2009 नाम मूण्डोती की जिस भूमि की वसीयत करना बताया है, उस वसीयत में जो स्टाम्प प्रयुक्त किया गया है, उसके पृष्ठ भाग पर अंकित स्टाम्प के प्रयोजन, जो कि "बिजली" के लिये प्रदर्शित किया गया है। इससे यह सुस्पष्ट और पुष्ट होता है कि वसीयत जिस स्टाम्प पर लिखी गई है, वह स्टाम्प वसीयत के प्रयोजन से ना लिया जाकर "बिजली" के प्रयोजन के लिए लिया गया है। ऐसी स्थिति में बिजली के प्रयोजन के लिए लिये गये स्टाम्प पर वसीयत लिखा जाना विधि विरुद्ध एवं सुसंगत नहीं होने से वसीयत को प्रथम दृष्ट्या पुष्ट नहीं मानते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 09.03.2009 वाके ग्राम मूण्डोती तहसील फुलेरा हाल तहसील किशनगढ रेनवाल को ठोस एवं पुष्ट दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तुरतीब दाखिल दपतर हो।



(अशोक कुमार शर्मा)  
अति. जिला कलेक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)  
जयपुर।